न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नंवलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-336RAAJodhpur2021-160RTA225 Jamanadevi Vs Pappuram etc

1. स्व. श्रीमती जमनादेवी पत्नी स्व. श्री भींयाराम के कायम मुकामः -

1.1. मिरगों पत्नी हड़मानराम जाति विश्नोई, निवासी- खाबड़ा कलां, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

1.2. कमा पत्नी श्री खेराजराम, जाति विश्नोई, निवासी- रामड़ावास तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

1.3. हड़मानराम पुत्र श्री भींयाराम, जाति विश्नोई, निवासी- खाबड़ा खुर्द, तहसील औसिंया, जिला जोधपुर।

1.4. भाखरराम पुत्र श्री भींयाराम, जाति विश्नोई, निवासी- खाबड़ा खुर्द, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

1.5. शंकरलाल पुत्र श्री भींयाराम जाति विश्नोई, निवासी- खाबड़ा खुर्द, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

1.6. बेबी पत्नी ओमाराम, जाति विश्नोई, निवासी- खाबड़ा कलां तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. पप्पूराम पुत्र श्री गणपतराम
02. गोपीलाल पुत्र श्री गणपतराम
03. निरमा पुत्री गणपतराम
04. माडू पुत्री श्री गणपतराम
05. बाला पुत्री श्री गणपतराम
06. बंशीलाल पुत्र श्री गणपतराम
07. गणपतराम पुत्र श्री रामुराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- खाबड़ाखुर्द, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

23-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 07 अगस्त 2019 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 124/2019 पप्पुराम व अन्य बनाम गणपतराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री अजीत दैया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या आठ

रेस्पोडेंट संख्या एक से सात बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 23 नवंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 124/2019 अनवान पप्पुराम व अन्य बनाम गणपतराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 अगस्त 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2129/2 रकबा 88 बीघा 17 बिस्वा ग्राम खाबड़ाखुर्द तहसील औसियां के संबंध में धारा 88 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने

23-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में निहायत ही मनगढंत एवं बेबुनियाद कथन किये है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से ही हो जाती है कि जिस वादग्रस्त आराजी मं प्रत्यर्थीगण संख्या एक से छः द्वारा अपने पिता का हक होना बताकर खातेदारी घोषणा चाही गई है, उस वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने पिता को ही अप्रार्थी के रूप में मुकदमा पक्षकार बनाया गया है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा उक्त वाद केवल मात्र अपीलार्थीया के कायम मुकाम को तंग व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी होने के संबंध में भी मिथ्या कथन किये गये है। पूर्व में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2129 का मूल रकबा 385 बीघा 05 बिस्वा था तथा उक्त भूमि के अलावा खसरा नं. 2105 रकबा 35 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 2024 रकबा 218 बीघा कुल रकबा 608 बीघा 10 बिस्वा भुमि थी जो सर्वप्रथम रामु पिसरान् शोभा व भींया खोले मुगा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा रामु व भींया दोनो ही उक्त भूमि के 1/2-1/2 हिस्से के खातेदार थे। रामु के देहांत के पश्चात उसके हिस्से की 1/2 भूमि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थी संख्या एक ता छः के पिता अर्थात अप्रार्थी संख्या एक गतणपतराम व माता धुड़ी देवी के नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 03.06.1965, राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। तत्पश्चात भींयाराम व धुड़ी देवी के द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए खसरा नं. 2129 में 91 बीघा कृषि भूमि का दिनांक 28.09.1966 को अपीलार्थीया/अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित किया गया तथा उक्त बेचाननामा के आधार पर ही अपीलार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामांतरकरण खसरा

23-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 2129/2 रकबा 91 बीघा दर्ज किया गया, जिसमें से 3 बीघा भूमि सड़क में चले जाने से वर्तमान में यह भूमि 88 बीघा 17 विस्वा अपीलार्थीया. की खातेदारी में दर्ज है। तब से आज दिनांक तक अपीलार्थीया एवं उसके वारिसान् का ही उक्त भूमि पर निरंतर एवं निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा को आज दिन तक अप्रार्थीगण संख्या एक से छः स्वयं और न ही उनके पिता द्वारा सक्षम दीवानी न्यायालय में प्रश्नगत कर मन्सुख करवाया गया है, जबकि माननीय न्यायालयों का विभिन्न न्यायिक निर्णयों में स्पष्ट मत रहा है कि किसी भी विक्रय विलेख को सक्षम दीवानी न्यायालय से रद्द अथवा मन्सुख करवाया गया वाद बाबत् खातेदारी घोषणा पोषणीय नहीं है। बलवीर सिंह बनाम भीम देवी 2011(2) आर. आर.टी. 958 में उद्धरित किया गया है कि यदि किसी सहखातेदार द्वारा भूमि का बेचान कर दिया गया है तो, उस विक्रय विलेख को निरस्त अथवा मन्सुख करवाये बगैर दावा बाबत घोषणा एवं बंटवाड़ा पोषणीय नहीं है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण संख्या एक से छ के पिता के स्वयं के जीवित होने के बावजूद उसके द्वारा आज दिन तक इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामे एवं उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में उसके नाम दर्ज की गई प्रविष्टियों को चुनौती नही दी गई है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Sajjan Singh V/s Mehengal Singh & Ors.2008(1) RRT 13(HC) 2008 RRD 74 (HC) में धारित मत कि Record of right their evidentiary value where entries in the record of rights were not challenged during the life time fo the ancestor, it cannot be challenghed by the descendants. मामले लागू होता हैं। वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीया को बेचान किये जाने से पूर्व वादग्रस्त

23-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी के खातेदार गणपतराम/अप्रार्थी संख्या दो व भींयाराम द्वारा भीखाराम, तुलछाराम व बालुराम पिसरान् बागाराम को 15 बीघा भूमि का बेचान किया गया, जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 55 पारित किया गया, जिसके आधार पर उक्त खातेदारान् का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में खसरा नं. 2129/4 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा दर्ज है तथा शेष .10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से खसरा नं. 2129/5 दर्ज है। उक्त बेचाननामों के अलावा प्रत्यर्थीगण के पिता द्वारा व भीयांराम द्वाराम सांवतराम भाट को भूमि बेचान की गई, जिसकी वर्तमान में खातेदारी हीराराम, चम्पाराम व कैलाश पिसरान् सांवतराम के नाम से खसरा नं. 2129/1 रकबा 16 बीघा दर्ज है। उक्त बेचाननामों के अलावा खसरा नं. 2129 के इन खातेदारों द्वारा सुखाराम पुत्र गोमदराम व तुलसी पत्नी गोमदराम को बेचान की गई थी, जिनके नाम वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है। उक्त समस्त बेचाननामों से प्रत्यर्थीगण को कोई आपत्ति न होकर केवल अपीलार्थीया के पक्ष में बेचान की गई भूमि से ही आपत्ति है जो प्रत्यर्थीगण/प्रार्थी संख्या एक से छः की बेईमानीपूर्ण मानसिकता कोक उजागर करती है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वच्छ हाथों न्यायालय की शरण में नहीं आया है, उसे न्यायालय से कोई राहत प्रदान नही की जा जानी चाहिये। इन सब तथ्यों के बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने घोर कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित करते हुए अपीलार्थीया की बरसों पुरानी खरीदसुदा एवं कब्जा सुदा भूमि के संबंध में प्रत्यर्थीगण के पक्ष में तथा अीपलार्थीया के विरुद्ध ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर अपीलार्थीया एवं उसके वारिसान् के उक्त संपति के उपयोग-उपभोग संबंधी अधिकारो में बाधा

23-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारित की है जो किसी भी दशा में विधि सम्मत अथवा न्याय संगत नहीं कही जा सकती है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 अगस्त 2019 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2072-2075 ग्राम खाबड़ाखुर्द तहसील औसियां के खाता संख्या 83 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 76 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2129/2 रकबा 88.17 बीघा जमना पत्नी भीयाराम जाति विश्नोई के नाम से दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध बेचाननामा दिनांक 28.09.1966 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन खातेदार भीयाराम दतक पुत्र मुगाराम व गणपतराम वल्द रामुराम नाबालिक की कुदरती वलीया मुसम्मात धुड़ी बेवा रामुराम कौम विश्नोई द्वारा आराजी खसरा नं. 2129 रकबा 385.5 बीघा में सें 91 बीघा भूमि अपीलार्थीया जमना देवी पत्नी भीयाराम कौम विश्नोई को बेचान किया जाना पाया जाता है, जिसकी पालना में जमना देवी पत्नी भीयाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जमना देवी के नाम जारी कृषि विद्युत कनेक्शन मुताबिक वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना साबित है। रेस्पोडेंट्स द्वारा

23.11.23

विक्रय विलेख को निरस्त करवाये बिना दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो माननीय मण्डल द्वारा बलवीर सिंह बनाम भीम देवी 2011(2) आर.आर. टी. 958 में धारित मत कि ''**यदि किसी सहखातेदार द्वारा भूमि का बेचान कर दिया गया है तो, उस विक्रय विलेख को निरस्त अथवा मन्सुख करवाये बगैर दावा बाबत घोषणा एवं बंटवाड़ा पोषणीय नहीं है।**'' के अनुसरण में पोषणीय नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेजात पर गौर किये बिना केवल अप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दिये जाने के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसे कतई विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष मे पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 अगस्त 2019 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-11-23

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर